

2021/30

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
10/21	212 RTA	शुभौरी	दुर्गा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नारायण सिंह	बनाम	गायत्री बाई वगै.	
वकील :- कमल सिंह	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

22²/₂₁

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.03.2021 को पेश हो।

(Signature)

23³/₂₁

आज पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 19/4/21 को पेश हो।

(Signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

19⁴/₂₁

आज पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/5/21 को पेश हो।

(Signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

24⁵/₂₁

आज पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/6/21 को पेश हो।

(Signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

23⁶/₂₁

आज पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/8/21 को पेश हो।

(Signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

19-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप फरीको उपा. अर्थात् ये
 लम्बे चाट्टे ही पत्रावली वाटे जवाब दिनांक 19-11-24
 को पेश हो।

✍

19-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप फरीको उपा. जवाब पेश
 नहीं हुआ लम्बे चाट्टे ही। पत्रावली वाटे जवाब दिनांक
 23-12-24 को पेश हो।

✍

23-12-24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप फरीको उपा. अप्रार्थना
 कर। की ओर ले जवाब पेश हुआ। नवल वसिल
 पार्थी को दिलवाई गई। पत्रावली वाले जवाब अप्रार्थी
 क्रम 2 दिनांक 11.2.25 को पेश हो।

✍

11-2-25 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी व स्कम जर्जी उपा.
 नहीं ही वकील जर्जी व स्कम जर्जी को भी काल
 समाप्त लगवार गरी बाकउड प्रमाण के माफात में
 उपा. नहीं ही काल जर्जी का जर्जना पत्र कइत
 खजरी कइत घेरवी के खीरु खिदा जाल ही पत्रावली
 फेरुष अउर अउर वाड लमील वकली के फेरुष
 बखल हो।

✍